Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जसवन्तसिंह बनाम लालसिंह व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 45/ वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 28.02.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि 45/0.57, 50/0.08, 51/0.08 है0 वाके ग्राम भूडली तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	
2.03/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज हो चुका है अतः यह प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद दाखिल संलग्न मुताबिक हो।	उपस्थित (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) 21/3/22

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)